न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **16/25 (वाद)**

GCMS No. : 2025/27

1. श्रीमती चंदादेवी पत्नी ख्यालीलाल सोनी निवासी ट्राइडेंट मार्ग 28 बी हरिदास जी की मगरी उदयपुर तहसील गिर्वा।

............वादीया

बनाम्

1. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपूत निवासी मधुफला चार चडस तहसील मावली।
2. श्री इन्द्रसिंह पिता माधुसिंह राजपूत निवासी मधुफला चार चडस तहसील मावली।
3. श्रीमती सतवंतकुंवर पत्नी माधुसिंह राजपूत निवासी मधुफला चार चडस तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता वादीया।
2. श्री दिलीप कुमार वैष्णव, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 3

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 24.02.2025

1. वादीया द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खातेदारी कृषि भूमियां मौजा बामणियाखेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 4012/85 रकबा 0.8417 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि वादीयां के नाम एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 4011/85 रकबा 0.0728 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य से संयुक्त रूप से 261/364 हिस्सा से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। परिशिष्ट अ व ब में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से वादीया ने हस्तगत वाद में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4012/85 रकबा 0.8417 हेक्टेयर में से 0.0728 हेक्टेयर यानि 728/841... हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

ने आराजी संख्या 4011/85 रकबा 0.0728 हेक्टर भूमि अपनी सम्पूर्ण 0.0522 हेक्टर यानि 522/728 हिस्सा भूमियाँ अदला–बदली कर आपस में एक्सचेन्ज की ओर उपरोक्त वर्णित भूमियों पर अपना–अपना कब्जा प्राप्त किया। उपरोक्त कृषि भूमियों के एक्सचेन्ज के बाबत् वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन ने आपसी सहमति से दिनांक 5.12.2023 को एक विनियम पत्र (एक्सचेन्ज डीड) निष्पादित किया। उक्त निष्पादित विनियम पत्र के रजिस्ट्रेशन में जमा होने वाली सम्पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन विभाग उप पंजीयन अधिकारी मावली के यहाँ जमा करवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यालय उप पंजीयन अधिकारी मावली द्वारा दिनांक 5.12.2023 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 197 में पृष्ठ सं. 79 क्रम सं. 202303109105896 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 786 के पृष्ठ सं. 172 से 181 पर चस्पा किया गया।

2. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमिया में दिनांक 5.12.2023 को निष्पादित विनियमय पत्र के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्सों की कृषि भूमियों पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरिके से काश्त कर रहे है। वादिया ने दिनांक 05.12.2023 को निष्पादित एक्सचेन्ज डीड के आधार पर नामान्तरण कराने के लिए प्रतिवादीगण संख्या चार से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी संख्या चार ने एक्सचेन्ज डीड के आधार पर नामान्तरण नहीं होने और सक्षम न्यायालय से नामान्तरण का आदेश लाने के लिए कहा। जिससे वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन का नामान्तरण राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद नहीं हो सका। जिससे वादिया एवं प्रतिवादीगणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादिया एवं प्रतिवादी अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए वह अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त मामला वादीया का प्रथम दृष्ट्या मामला है चूंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ने अपनी–अपनी कृषि भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड विनियमय पत्र से एक्सचेन्ज कर अपना–अपना कब्जा प्राप्त कर शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। वादिया एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया गया तो वादिया को जो अपूरणीय क्षति होगी जिसका [illegible] रूपयों पैसो में नहीं किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

सकेगा सुविधा संतुलन भी वादिया के पक्ष में है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या चार को दिनांक 08.01.2025 उपरोक्त जमीनें वादिया एवं प्रतिवादी के खाते कराने को कहा तो प्रतिवादीगण संख्या चार ने कहा की उक्त कार्यवाही सक्षम न्यायालय ही कर सकता है तक भी वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

3. अन्त में निवेदन किया वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित खसरा संख्या 4012/85 रकबा 0.8417 हेक्टर मे से 0.0728 हेक्टर यानि 728/8417 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी संख्या एक से तीन को घोषित किये जावे एवं खसरा सं. 4011/85 रकबा 0.0728 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या एक से तीन की सम्पूर्ण 0.0522 हेक्टर यानि 522/728 हिस्सा भूमि का खातेदार वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड, खेवट, खतौनी जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पृथक–पृथक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (राजीनामा) पेश कर दोनो प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त मामले में वादीया एवं प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका हैं। हस्तगत वाद में वर्णित आराजीयात में खसरा संख्या 4012/85 रकबा 0.8417 हेक्टेयर में से 0.0728 हेक्टेयर यानि 728/8417 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम एवं आराजी संख्या 4011/85 रकबा 0.0728 हेक्टेयर भूमि अपनी सम्पूर्ण 0.0522 हेक्टेयर यानि 522/728 हिस्सा वादीया के खातेदारी हक से दर्ज किया जाना स्वीकार हैं। वादीया और प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा से दिनांक 05.12.2023 को विनिमय पत्र निष्पादित किया गया था जो प्रतिवादीगणों को स्वीकार हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा चाही गई सहायता पर प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नहीं हैं।

5. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकरान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 290 पर दर्ज आराजी नम्बर 4012/85, 4013/85 किता 2 कुल रकबा 0.9307 हैक्टेयर भूमि वादी चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 337 पर दर्ज आराजी नम्बर 4011/85 किता 1 कुल रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगवतसिंह पुत्र माधुसिंह 87/364 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 इन्दरसिंह पुत्र माधुसिंह 87/364 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 सतवंतकुंवर पत्नी माधुसिंह 87/364 हिस्से से तथा एक अन्य सहखातेदार बसंतकुंवर पिता प्रेमसिंह 103/364 हिस्से से दर्ज है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा रजिस्टर्ड विनिमय पत्र (एक्सचेन्ज डीड) का निष्पादन करवाया। रजिस्टर्ड विनिमय पत्र (एक्सचेन्ज डीड) अनुसार वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 4012/85 रकबा 0.8417 हैक्टेयर भूमि में से 0.0728 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हिस्से अनुसार आराजी नम्बर 4011/85 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि में से 0.0522 हैक्टेयर भूमि वादी को दी गई। इस विनिमय पत्र के अनुसार तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करना चाहिए था। परन्तु तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड विनिमय पत्र (एक्सचेन्ज डीड) के अनुसार दर्ज नही किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 रजिस्टर्ड विनिमय पत्र (एक्सचेन्ज डीड) में वर्णितानुसार निष्पादन के दिन से ही खातेदार हो चुके है। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम नही किया है। जिसे रजिस्टर्ड विनिमय पत्र (एक्सचेन्ज डीड) में वर्णितानुसार खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार कर वादी का डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. ([illegible]) स्वीकार कर वादी का वाद अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 290 पर दर्ज आराजी नम्बर 4012/85 रकबा 0.8417 हैक्टेयर भूमि वादीया चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज है के बजाय वादीया चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल को 7689/8417 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 728/8417 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार खाता संख्या 337 पर दर्ज आराजी नम्बर 4011/85 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगवतसिंह पुत्र माधुसिंह 87/364 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 इन्दरसिंह पुत्र माधुसिंह 87/364 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 सतवंतकुंवर पत्नी माधुसिंह 87/364 हिस्से से तथा एक अन्य सहखातेदार बसंतकुंवर पिता प्रेमसिंह 103/364 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल को 261/364 हिस्से से तथा बसंतकुंवर पिता प्रेमसिंह को 103/364 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6—7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती चंदादेवी पत्नी ख्यालीलाल सोनी निवासी ट्राइडेंट मार्ग 28 बी हरिदास जी की मगरी उदयपुर तहसील गिर्वा।

............वादीया

बनाम्

1. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपूत निवासी मधुफला चार चडस तहसील मावली।
2. श्री इन्द्रसिंह पिता माधुसिंह राजपूत निवासी मधुफला चार चडस तहसील मावली।
3. श्रीमती सतवंतकुंवर पत्नी माधुसिंह राजपूत निवासी मधुफला चार चडस तहसील मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 16/25 (वाद) GCMS No. – 2025/27

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (राजीनामा) स्वीकार कर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077—80 के खाता संख्या 290 पर दर्ज आराजी नम्बर 4012/85 रकबा 0.8417 हैक्टेयर भूमि वादीया चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज है के बजाय वादीया चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल को 7689/8417 हिस्से से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 728/8417 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार खाता संख्या 337 पर दर्ज आराजी नम्बर 4011/85 रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगवतसिंह पुत्र माधुसिंह 87/364 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 2 इन्दरसिंह पुत्र माधुसिंह 87/364 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या 3 सतवंतकुंवर पत्नी माधुसिंह 87/364 हिस्से से तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested

एक अन्य सहखातेदार बसंतकुंवर पिता प्रेमसिंह 103/364 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादीया चंदा देवी पत्नी ख्यालीलाल को 261/364 हिस्से से तथा बसंतकुंवर पिता प्रेमसिंह को 103/364 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.02.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:34:24 IST
Reason: SelfAttested